तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
11/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी सं. 5 ता 7 व 9 की पूर्व में तामील हो चुकी है। बावजूद तामील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी सं. 5 ता 7 व 9 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पक्षकारान को [illegible] [illegible] शा० [illegible]। बहस पक्षकारान सुनी गयी। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शा० पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड [अधिकारी] बीदासर ([चूरू])

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 119/2025

माणकनाथ पुत्र खेतनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तह. बीदासर चूरू आधार न. 9048 8693 9259 मोबाइल न. 9784612757

वादी

बनाम

1 भंवरी देवी पत्नि डूँगरराम जाति जाट निवासी कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2 गोकुलनाथ पुत्र खेतनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तह. बीदासर चूरू
3 रामेश्वरनाथ पुत्र सोहननाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तह. बीदासर चूरू
4 ओमनाथ पुत्र सोहननाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तह. बीदासर चूरू
5 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर जिला चूरू
6 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दड़ीबा तह. बीदासर चूरू
7 शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बीदासर जिला चूरू
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.
9 उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर जिला चूरू

.............प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एड्वोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 4 अख्तर सोलंकी एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 8 – पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :– 11/9/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खाता नम्बर 74 खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 6.6773 हैक्टेयर (26–08 बीघा), खसरा नम्बर 479 रकबा 4.8562 हैक्टेयर (19–04 बीघा) कुल खसरे 2 कुल रकबा 11.5335 हैक्टेयर (45–12 बीघा) तथा वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 434 रकबा 17.5152 हैक्टेयर वाके रोही घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादगत भूमि खेत खाता नम्बर 74 खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 6.6773 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 479 रकबा 4.8562 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 11.5335 हैक्टेयर में वादी माणकनाथ का 9–16 बीघा व खसरा नम्बर 434 रकबा 69–05 बीघा में 1/2 हिस्सा यानि 34–12.50 बीघा साढे बारह बिश्वा यानि उपरोक्त वादगत भूमि सम्पतियों में **44–08.50** बीघा भूमि दिखणादी आथुणी पाखी की हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में तथा वादगत भूमि के दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी सख्या 2 दो गोकुलनाथ के हिस्सा पांती की कुल भूमि तादादी 47–8.50 बीघा खेत खसरा नम्बर 434 की मध्य पाखी की व खसरा नम्बर 457 की उतरादी अगूणी कुन्ट की हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है तथा वादगत

लगातार.....2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

खेत खसरा नम्बर 434 की उतरी पाखी की अगूणी सींव से आथुणी सींव तक 10-00 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 3, 4 के हिस्सपांती एवं कब्जा काश्त में तथा वादगत खेत खसरा नम्बर 457, 479 की दोनो खसरों की पूर्वी पाखी की 13-00 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 1 भंवरी देवी के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है। वादी एवं प्रतिवादीगण की अपने अपने हिस्सा भूमि की अलग अलग पुख्ता पक्की सीवें कायम है तथा प्रत्येक हिस्सेदार के आवागमन का रास्ता कायम है, वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्सा पांती में रिहायसी ढ़ाणीया व पक्के मकानात बना रखे है जिसमें निवास कर अपनी अपनी हिस्सा भूमि क़ाश्त करते है। वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है तथा वादगत खेतो में अपने अपने हिस्सा को भी हिस्सापांती एवं कब्जाकाश्त अनुसार अलग अलग ही काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार अपनी अपनी हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। वादगत खेत खसरो की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 सींवों को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के खेत में अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादी का वादगत खेतो किये हूए विभाजन के अनुसार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों की खातेदारी का रेकार्डेड हिस्सा एवं मुताबिक कब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 वादगत खेतों की सींवों को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेतों की संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है हम जहां चाहे कब्जा करेगे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाली महिला है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 28-07-2025 को निवेदन किया कि वादगत खेतो की खातेदारी का मुताबिक रेकार्डेड हिस्सा एवं क़ब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेतों में जहां चाहे कब्जा करके पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू-माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बैदखल करें। वादगत भूमि वाके रोही घंटियाल बड़ी में वादी एवं उनके पूर्वजों के द्वारा किये गये हिस्सा पांती अनुसार

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सोपावास (जुन्द)

कब्जा काश्त होने एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर वादी को सतत वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा 28–07–2025 को ऐलानिया धमकी देने व विभाजन करने से साफ इन्कार होने पर वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। राजस्व वाद वादी बहक प्रतिवादीगण के मध्य नीजि सम्पति होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य हित निहित न होने के बावजूद भी भू धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर को पक्षकार संयोजित किया गया है। दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के कारण राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रस्तुत दावे में दो माह का पूर्व नोटिस देने से छूट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रस्तुत किया जाकर दावा श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती का है तथा वादगत खेत वाके रोही घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि (क) वादगत खेत खाता नम्बर 74 खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 6.6773 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 479 रकबा 4.8562 हैक्टेयर कुल खसरे 2. कुल रकबा 11.5335 हैक्टेयर तथा वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 434 रकबा 17. 5152 हैक्टेयर वाके रोही घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर में वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 4 का हिस्सापांती अनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में पृथक दर्ज की जाकर लगान का विभाजन किया जावें, (ख) प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावें की वादगत खेतो का विधिवत रूप से जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतो के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी देवे और न ही वादी को उनके हिस्से पांती की भूमि से जबरन बेदखल करें। ना ही प्रतिवादीगण कोई ऐसा तर्क या तर्क फैल स्वयं करें या अपने एजेन्ट से करवाये जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। (ग) प्रतिवादी सख्या 8 को आदेश फरमाया जावे की वोह मुताबिक न्यायालय निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। (घ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। (घ)अन्य अनुतोष.जो हितकर वादी को दिलवाया जावे।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 6/08/2025 को वादी के मिशल पैशी पर लेने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली मिशल पेशी में ली गई, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से अख्तर सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा मय राजीनामा, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। राजीनामा मय नजरी नक्शा बाद जांच शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 8 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 5, 6, 7 बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा किसी प्रकार का जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई। प्रकरण में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। राजीनामा में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार विभाजन का निवेदन किया गया है। वित्तिय संस्थाओं का प्रभार खातेदारों पर यथावत रहने के कारण वित्तिय संस्था बैंक प्रतिवादी स. 5, 6, 7 पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव प्रतीत नहीं होता है।

लगातार......4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आदेश

वादी का वाद बाबत विभाजन जरिये राजीनामा, संलग्न नक्शा के अनुसार अन्तिम रूप से डिकी इस प्रकार किया जाता है कि वादगत खेत खाता नम्बर 74 खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 6.6773 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 479 रकबा 4.8562 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 11.5335 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 434 रकबा 17.5152 हैक्टेयर वाके रोही घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर में वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 4 का हिस्सापांती अनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार तथा राजीनामा, संलग्न नजरी नक्शा में अंकितानुसार पाखीयां हिस्सा पांती में रखते हूए प्रतिवादी सख्या 5, 6, 7 वित्तिय संस्था बैंकों का हित सुरक्षित रखते हूए पृथक पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम किया जावे। राजीनाा व नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा। इस प्रकार तहरीर प्रतिवादी सख्या 8 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। इस प्रकार अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11 / 9 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम **डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी** ....मुकाम........**बीदासर जिला चूरू** ....व

इजलास.............पीठासीन अधिकारी........... **श्री अमीलाल यादव R.A.S.**

माणकनाथ बनाम भंवरी देवी आदि

दावा बाबत ....**विभाजन, चिर निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर 119/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ......हाजरी **श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट** मिनजानिब मुदई व श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट, पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलेह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ..... **वादी का वाद बाबत विभाजन जरिये राजीनामा, संलग्न नक्शा के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री इस प्रकार किया जाता है कि वादगत खेत खाता नम्बर 74 खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 6.6773 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 479 रकबा 4.8562 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 11.5335 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 434 रकबा 17.5152 हैक्टेयर वाके रोही घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर में वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 4 का हिस्सापांती अनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार तथा राजीनामा, संलग्न नजरी नक्शा में अंकितानुसार पाखीयां हिस्सा पांती में रखते हूए प्रतिवादी सख्या 5, 6, 7 वित्तिय संस्था बैंकों का हित सुरक्षित रखते हूए पृथक पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम किया जावे। राजीनाा व नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। इस प्रकार तहरीर प्रतिवादी सख्या 8 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।**

फीस ....मुबलिग...बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....
....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..11........माह 9.....2025

मुहर

उपखण्ड अधिकारी

दस्तख्त..................
ओहदा........................ बीदासर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)